

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट भाग-4, खण्ड (ख) (परिनियत आदेश)

देहरादून, सोमवार, 11 सितम्बर, 2006 ई0 भाद्रपद 20, 1928 शक सम्वत

उत्तरांचल शासन

वित्त अनुभाग–9

संख्या 290/XXVII(9)/स्टाम्प/2006 देहरादून, 11 सितम्बर, 2006

अधिसूचना

प0 आ0-107

राज्यपाल, (समय—समय पर यथासंशोधित) भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2, वर्ष 1899) की घारा 9 की उप घारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए पन्तनगर, ऊघमसिंह नगर में मैसर्स टाटा मोटर्स द्वारा उत्तरांचल में वाहनों के विनिर्माण हेतु स्थापित की जाने वाली औद्योगिक इकाई हेतु राज्य औद्योगिक विकास निगम, उत्तरांचल लिं0 (सिडकुल) एवं पन्तनगर विश्वविद्यालय द्वारा आवंटित की जाने वाली 1100 एकड़ भूमि पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क की छूट इस सीमा तक प्रदान करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

इन्दु कुमार पाण्डे, प्रमुख सचिव।



In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 290/XXVII(9)/Stamp/2006, dated September 11, 2006 for general information:

No.290/XXVII(9)/Stamp/2006 Dated Dehradun, September 11, 2006

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Central Act 2 of 1899) (as amended from time to time), the Governor is pleased to remit the Stamp duty chargeable by the State Government of Uttaranchal in favour of M/S Tata Motors Limited for 1100 Acres of land to be allotted by State Industrial Development Corporation of Uttaranchal Limited(SIDCUL) and Pantnagar University for setting up of plants for manufacturing of motor vehicles, motor cars, their components aggregates etc. at Pantnagar, District Udhamsingh Nagar.

By Order,

INDU KUMAR PANDE, Pramukh Sachiv.